न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023 / 18

दायर दिनांक 20.06.2023

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरू (राजस्थान)

–सायल–

बनाम

सोहनलाल पुत्र रतनलाल जाति प्रजापत उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 07 सरदारशहर, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू।

–गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोंकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**

निर्णय

दिनांक : 20.06.2025

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सोहनलाल पुत्र रतनलाल जाति प्रजापत उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 07 सरदारशहर, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध सट्टे की खाईवाली करने आदी है एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल सोहनलाल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब व पैण्डिगं कोर्ट चल रहे हैं।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	508 / 03.11.2015	13 आरपीजीओ	सरदारशहर	23.01.2016	सजा 20.01.2020
2	74 / 15.02.2021	13 आरपीजीओ	सरदारशहर	15.07.2021	सजा 15.07.2021
3.	115 / 28.02.2022	13 आरपीजीओ	सरदारशहर	27.02.2023	पैण्डिगं कोर्ट
4.	471 / 28.07.2022	13 आरपीजीओ	सरदारशहर	19.12.2022	पैण्डिगं कोर्ट

इस प्रकार से गैर सायल सोहनलाल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां/ कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अर्पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

बहस अभियोजन अधिकारी एकपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 02 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ पुलिस थाना सरदारशहर के तहत 02 बार दिनांक 20.01.2020 व दिनांक 15.07.2021 को सजा तथा प्रत्येक में 100–100 रूपए से दण्डित किया जा चुका है इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल सोहनलाल पुत्र रतनलाल जाति प्रजापत उम्र 42 साल निवासी वार्ड न. 07 सरदारशहर, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू